न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गाजीपुर
उपस्थितः धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय (एच 0 जे0 एस 0)
(JO CODE UP–2002)
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1185/2026
CNR No. UPGH010027522026

इशान्त सिंह उम्र लगभग 21 वर्ष पुत्र विजेन्द्र सिंह साकिन खजुरगांव, थाना कासिमाबाद, जिला गाजीपुर।

–––––आवेदक/अभियुक्त

बनाम

1– उ०प्र० राज्य बजरिये जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, गाजीपुर।
2– उ०नि० रवीन्शु पाण्डेय थाना मरदह, जिला गाजीपुर।

–––––विपक्षीगण

मु०अ०सं०–142/2026
धारा–317(2) बी०एन०एस० व 3/25 आयुध अधि०
थाना–मरदह, **जनपद** गाजीपुर।
अभियुक्त की ओर सेः श्री जे०बी० सिंह, एडवोकेट
राज्य की ओर सेः श्री कृपाशंकर राय, जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक)

16–06–2026 **आदेश**

1– प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त इशान्त सिंह की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–142/2026, धारा–317(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना मरदह, जिला गाजीपुर के मामले में जमानत पर अवमुक्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध है।

2– अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 26–05–2026 को वादी मुकदमा उ०नि० रवीन्शु पाण्डेय मय हमराह के देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित/संदिग्ध व्यक्ति व चेकिंग संदिग्ध वाहन करते हुए पिपनार मोढ़ पर मौजूद थे कि समय 23:05 बजे मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि UP53EB1490 की नम्बर प्लेट लगी सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर चार पहिया वाहन से चार व्यक्ति चोरी किये गये सामान की बिक्री हेतु पिपनार गेट, पोखरे के पास जायेंगे। उक्त सूचना पर विश्वास कर मय हमराह के तत्काल पिपनार गेट, पोखरे के पास पहुंचे। तभी पिपनार गेट पोखरे के पास मुखबिर द्वारा बताया गया चार पहिया वाहन अंधेरे मे पाकिंग लाइट जलाकर खड़ी थी। जिससे वादी मुकदमा उ0नि0 द्वारा अपने सहकर्मियो के मदद से एकबारगी अचानक से घेर लिया गया। चार पहिया वाहन का गेट खुलवाया गया तथा नाम– पता पूछते हुए तलाशी ली गयी तो वाहन चालक ने अपना नाम इशान्त सिंह पुत्र बिजेन्द्र सिंह तथा अन्य तीन व्यक्तियो ने अपना नाम अनूप सिंह पुत्र मनोज सिंह, प्रिस सिंह पुत्र सन्तोष सिंह एवं प्रेम उर्फ आजाद विश्वकर्मा पुत्र अमरनाथ शर्मा बताया। वाहन चालक इशान्त सिंह की जामा तलाशी से उसके द्वारा अपनी कमर मे बांये फेटे मे खुसा हुआ एक अदद् तमन्चा 315 बोर मिला। उक्त अवैध तमन्चा रखने के सम्बन्ध मे अधिकार पत्र मांगा गया तो दिखाने से कासिर रहा। पहने हुए जिन्स पैण्ट के दांये जेब की तलाशी से से एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर मौजूद मिला तथा शर्ट के बांयी जेब से एक अदद मोबाइल Vivo कम्पनी का क्रीम कलर का काला कवर चढ़ा हुआ प्राप्त हुआ। अन्य कार में बैठे अनूप सिंह के पास से one plus कम्पनी का बैगनी रंग व काला कवर चढ़ा हुआ मोबाइल प्राप्त हुआ। प्रिंस सिंह के पास से Real me कम्पनी का नीले रंग मोबाइल प्राप्त हुआ। प्रेम उर्फ आजाद विश्वकर्मा के पास से oppo कम्पनी का हल्का हरा रंग का जामुनी रंग का कवर

चढ़ा हुआ मोबाइल प्राप्त हुआ। कार की तलाशी ली गयी तो कार के पिछले सीट पर बायी तरफ पम्पिंग सेट (डीजल इंजन) प्राप्त हुआ। जिसके सम्बन्ध मे कड़ाई से पूछताछ करने पर बताये कि यह पम्पिंग सेट उन्होंने अपने गाँव के रहने वाले शेषनाथ विश्वकर्मा पुत्र स्व० मनोहर विश्वकर्मा के ट्यूबेल से चोरी किया था तथा इसे बेचने के सिलसिले मे अपने गाँव खजूर गाँव से पिपनार के रहने वाले प्रेम उर्फ आजाद विश्वकर्मा से बातचीत करने आये थे। वे इसके बारे मे बातचीत कर रहे थे कि उन्हें पकड़ लिया गया। अभियुक्तगण द्वारा कारित घटना के सम्बन्ध मे सम्बन्धित थाने से जानकारी करने पर जात हुआ कि थाना कासिमाबाद में मु0 अ 0 सं0 –193/26 धारा 303(2) BNS का अभियोग बनाम अज्ञात पंजीकृत है। बरामदशुदा एक अदद् तमन्चा मय एक अदद जिन्दा कारतूस तथा चार अदद मोबाइल को अलग अलग फाइबर के पारदर्शी डिब्बे मे रखकर समुदित किया गया तथा नमूना मोहर अलग से तैयार किया गया। बरामदशुदा चार पहिया वाहन के बाबत पकड़े गये अभियुक्त इशांत सिंह द्वारा बताया गया यह वाहन उसके पिता बिजेन्द्र सिंह के नाम से पंजीकृत है। बरामदशुदा वस्तुओं की फर्द बरामदगी निर्मित की गयी तथा उक्त के आधार पर अभियुक्तगण इशान्त सिंह, अनूप सिंह, प्रिन्स सिंह व प्रेम उर्फ आजाद विश्वकर्मा के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 317(2) व धारा 3/25 आयुध अधिनियम के तहत मुकदमा अपराध संख्या 142/2026, थाना मरदह, जिला गाजीपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

3– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है तथा उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध संबंधित थाना द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर मामले में चालान किया गया है। चुनावी रंजिश के चलते आवेदक/अभियुक्त को मामले में फँसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त के पास से गलत बरामदगी दर्शायी गयी है। कथित गिरफ्तारी व बरामदगी का कोई जनसाक्षी नहीं है। कथित अभियोग मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। आवेदक/अभियुक्त का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 27–05–2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। उक्त के आधार पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

4– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया तथा यह तर्क दिया गया कि आवेदक/अभियुक्त के अध्यसन से चोरी का मोटरपम्प बरामद किया गया है तथा उसके अध्यसन से अवैध आग्नेयास्त्र भी बरामद हुआ है। उक्त के आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

5– मैंने प्रथम सूचना रिपोर्ट, केस डायरी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर मुकदमा अपराध संख्या–193/2026, धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना कासिमाबाद, जिला गाजीपुर में चोरी किये गये डीजन इंजन पम्पिंग सेट के साथ गिरफ्तार किया जाना बताया गया है। कथित गिरफ्तारी व बरादमगी का कोई स्वतंत्र व निष्पक्ष जनसाक्षी नहीं होना बताया गया है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित धाराएं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है तथा आरोपित धाराओं में सात वर्ष से कम की सजा का प्राविधान है। आवेदक/अभियुक्त का पूर्व का आपराधिक इतिहास दर्शित नहीं है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 27–05–2026 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं। अतः वाद के सम्पूर्ण तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं प्रकरण के गुणदोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किये इस स्तर पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर अवमुक्त किये जाने का पर्याप्त एवं समुचित आधार है।

6– अतः आवेदक/अभियुक्त इशान्त सिंह द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को मुब० 50,000/– रूपये का स्व बंधपत्र एवं विधि व्यवस्था **Smt. Bacchi Devi Vs State of U.P and Another (2025 SCC Online ALL 5286)** व **Pappu Met @Pappu Vs State of U.P. & Anr. Matters Under Article 227 No.**

15205 of 2025 Judgement dated 11 December 2025 में प्रतिपादित सिद्धातों के दृष्टिगत सम राशि की एक प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर अवमुक्त किया जाता है कि –

(क)– आवेदक/अभियुक्त इस प्रकार का अपराध दोबारा नहीं करेगा।

(ख)– आवेदक/अभियुक्त साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेंगे अथवा मामले से सम्बन्धित साक्षीगण को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा।

(ग)– जब तक कि आवेदक/अभियुक्त की व्यक्तिगत हाजिरी विचारण न्यायालय द्वारा माफ नहीं की जायेगी, वह प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

दिनांकः 16–06–2026

(धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश
गाजीपुर।
JO CODE UP2002

Digitally signed by Dharmendra Kumar Pandey
Date: 2026.06.16 12:17:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court